जनपद - संतकबीरनगर　　　　**प्रेस विज्ञप्ति**　　　　**दिनॉक 22-11-2020**

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त व व 20 अदद शीशी अवैध बंटी बबली के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता जयहिन्द चौहान पुत्र मेवालाल निवासी बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 690/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त नाम पता 1- भगवानदास साहनी पुत्र स्व0 भूरे निवासी परतिया थाना बखिरा 2- वीरेन्द्र पुत्र चतुरी निवासी बौरव्यास थाना धर्मसिंहवा 3- आशीष जायसवाल पुत्र रामप्रकाश निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 05-05 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02 अदद शीशी अवैध बंटी बबली शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 421/2020, 422/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 423/2020 धारा 60(1) / 64 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1488 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी <u>1488</u> को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत मैनसिर से इवेन्ट संख्या 01761 से कालर ने दुर्घटना के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को जरिये एम्बुलेंस प्रा0स्व0 केन्द्र नाथनगर भेजवाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ –मु0 आरक्षी विनोद कुमार ओझा, आ0 उमेश कुमार गौतम, हो0चा0 बन्धु प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 187 वाहनो से 145500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 187 वाहनो से 145500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22-11-2020

यातायात जागरुकता माह के दृष्टिगत यातायात पुलिस द्वारा खलीलाबाद शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटवाया गया

यातायात जागरुकता माह के अन्तर्गत **पुलिस अधीक्षक संकतबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह** द्वारा यातायात जागरुकता कार्यक्रम के दृष्टिगत आज दिनांक 22.11.2020 को यातायात पुलिस द्वारा मेहदावल बाईपास, आजाद तिराहा, गोलाबाजार, बरदहिया बाजार आदि स्थानों पर कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते अवैध अतिक्रमण हटवाया गया व चालान किया गया तथा सख्त हिदायत दी गयी कि दुबारा अतिक्रमण करने पर अन्य विधिक कार्यवाही की जायेगी। इस मौके पर प्रभारी यातायात श्री संतोष कुमार मिश्रा, यातायात पुलिस के एचसीपी श्री जगदम्बा गुप्ता, एच0सी0पी0 अनिल शर्मा, एच0सी0पी0

भोला प्रसाद एच0सी0पी0 नन्द लाल, का0 कृष्णानन्द पाण्डेय व यातायात पुलिस के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनांक 22.11.2020

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे **'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)** के आयोजन में आज दिनांक **22.11.2020** को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना डा0 शालिनी सिंह एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी की अध्यक्षता में कुल **03** मामलें आयें, 02 मामलो में सुलह समझौता करवाया गया व 01 मामले में मोहलत दी गयी।

1. श्रीमती रुपा पाण्डेय पुत्री श्री अनुपम राय निवासी ग्राम दुघरा थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर व द्वितीय पक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय निवासी ग्राम मिर्हिरिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर। दोनो पक्ष में **सुलह समझौता** कराया गया।
2. श्री शकील अहमद पुत्र श्री मो0 शफीक निवासी ग्राम दलेलगंज थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर व द्वितीय पक्ष श्रीमती तसलीमा खातून पुत्री नियाज अहमद निवासी ग्राम मदाइन थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर। दोनो पक्ष में **सुलह समझौता** कराया गया।
3. रीमा पत्नी शिवचरऩ निवासी सिरमोहनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर व द्वितीय पक्ष शिवचरन पुत्र रामगढ़ निवासी ग्राम सिरमोहनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर। दोनो पक्षों को मोहलत दिया गया।